

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर; म०प्र० सर्किट कोर्ट


रीवा, जिला रीवा, म०प्र०.

निगरानी प्र०क्र०/ /013

600
8-10-13

74

R-4169-111/13.



- अधिवक्ता श्री दिनांक
शुभाजी का हाााााा
रीवा, दिनांक 8-10-13
- 01- रामजियावन तनयश्री सीताराम शुक्ल
 - 02- श्यामबिहारी तनय रामचन्द्र शुक्ल
 - 03- रामनिहोर तनय जहाबीर प्रसाद शुक्ल

निवासीगण ग्राम भैरहा, तहसील नईगढी, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदकगण

बनाम

भागीरथी शुक्ल तनय जोधाराम शुक्ल निवासी ग्राम भैरहा, तहसील
नईगढी, जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल खरौं,
तहसील नईगढी, जिला रीवा दिनांक 05.08.013
जो सीमांकन प्रकरण क्र० 2-अ-12/012-013 में
पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भूरा०सं०1959

मास्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

101। यह कि प्रश्नाधीन आदेश राजस्व निरीक्षक विधि एवं प्रक्रिया केग
विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

102। यह कि राजस्व निरीक्षक ने प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश यह लिखकर

निरंतर.....

88 01/10/13

M

R 4169-III/13 रीवा
राज जियावन / लगीरकी

CF-15/9/15

15-9-15

- अकरण प्रस्तुत।
- आवेदक व उसके अधिवक्ता को तीन
जा प्रकार लावाए गये, किन्तु वह सचो-
परान्त उपस्थित नहीं हुए; जिससे ऐसा
प्रतीत होता है कि आगे अकरण नहीं चलाना
चाहते हैं।
- अतः मठ प्रबंधन द्वारा की चारा-
35(2) के तहत प्रकरण अपन पक्षी से
खारीज किया जाता है।
- प्रकरण पंजी से खारीज होकर ~~बंद~~ है।

सदस्य